प्रीमियम का भुगतान

बीमाकृत बैंकों को उनकी कुल जमाराशि पर डीआईसीजीसी को प्रीमियम का भुगतान करने के लिए दो महीनों का समय दिया जाता है। प्रीमियम के भुगतान में देरी होने पर बैंकों को वित्तीय छमाही की शुरुआत से प्रीमियम भुगतान करने की तारीख तक बैंक दर से 8% अधिक दर पर दण्डात्मक ब्याज का भुगतान करना पड़ता है।

केवल एक दिन की देरी होने पर भी बैंक दो महीनों का दण्डात्मक ब्याज देने के लिए बाध्य है, अर्थात सितंबर 2019 को समाप्त छमाही के लिए भुगतान की नियत तारीख 31 मई है। हालांकि यदि डीआईसीजीसी को 01 जून को भुगतान किया जाता है तो बैंक पर 01 अप्रैल से 01 मई तक की अवधि के लिए ब्याज लगाया जाएगा।

यह देखा गया है कि कई बार सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों के माध्यम से भेजा गया भुगतान वापस हो जाता है और इस कारण उन पर ब्याज लगता है। अतः बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि वे विप्रेषक बैंक से जानकारी प्राप्त करें कि क्या वास्तविक रूप में डीआईसीजीसी को भुगतान किया गया है या नहीं।

उक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह बैंकों के अपने हित में है कि वे नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का भुगतान कर दें ताकि सितंबर को समाप्त छमाही के लिए 31 मई को या उससे पहले प्रीमियम का भुगतान डीआईसीजीसी को पहुँच जाए। कृपया ध्यान दें कि बैंकों को प्रीमियम राशि पर 18% जीएसटी का भुगतान करना आवश्यक है।

Premium Payment

Insured banks are given two month time period to make premium payment to DICGC on its total deposits. In case of delay in premium payment, banks are liable to pay penal interest at 8 per cent above the Bank rate from the beginning of the financial half year till the date of payment.

Bank is liable to pay penal interest of two months for even one day delay i.e. for half year ending Sep 2019, due date is May 31st .However, if payment is made to DICGC on June 01, interest charged from bank would be from April 01 till May 31st .

It has been observed that many a times remittance made by a co-operative bank through other banks gets returned resulting in imposition of interest. Therefore, banks are advised to enquire from remitting bank whether the payment has been actually credited to DICGC.

In view of all the above mentioned facts, it is in bank's own interest to pay premium within due date so that payment should reach to DICGC for half year ending Sep on or before May 31st. Please note, banks are required to pay GST @ 18% on Premium amount.

निक्षेप बीमा (डीआई) रिटर्न की प्रस्तुति

बैंकों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम का निर्धारण पिछली छमाही के आखिरी दिन को कुल जमाराशि के आधार पर किया जाता है (सितंबर 2019 को समाप्त छमाही के लिए जमा आधार 31 मई 2019 है और भुगतान की आखिरी तारीख 31 मई है) {डीआईसीजीसी सामान्य नियम, 19(2)}।

बैंक द्वारा प्राधिकृत दो अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित डीआई रिटर्न प्रत्येक केलेंडर छमाही के शुरू होते ही डीआईसीजीसी तक जल्द से जल्द पहुँच जानी चाहिए और **किसी भी स्थिति में उस छमाही के दूसरे माह के आखिरी दिन के पहले** पहुँच जानी चाहिए। DI रिटर्न की कॉपी संलग्न है।

बैंक द्वारा जानबूझकर झूठी जानकारी वाली विवरणी बनाए जाने पर अथवा कोई महत्त्वपूर्ण जानकारी न दिए जाने पर प्राधीकृत अधिकारी अधिकतम तीन वर्ष के कारावास तथा अधिनियम {डीआईसीजीसी अधिनियम धारा 47(1)} के अनुसार अर्थदण्ड के लिए भी पात्र होंगे।

इसके अतिरिक्त यदि बैंक नियत तारीख के भीतर निक्षेप बीमा रिटर्न प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उस पर प्रत्येक गलती के लिए दो हज़ार रुपयों का अर्थदण्ड लगाया जाएगा और लगातार दोषी पाए जाने पर पहली ऐसी गलती के बाद से लेकर लगातार दोषी पाए जाने की अवधि के दौरान प्रत्येक दिन के लिए अधिकतम सौ रुपए का अतिरिक्त अर्थदण्ड लगाया जाएगा {डीआईसीजीसी अधिनियम धारा 47(2)}। बैंकों को डीआई रिटर्न ऑनलाइन जमा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए डीआईसीजीसी की वेबसाइट पर पोर्टल-आईएएसएस लिंक प्रदान किया गया है। पोर्टल के माध्यम से डीआई फ़ाईलिंग बैंकों द्वारा बेहतर तरीके से समझने के लिए एक ट्यूटोरियल भी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

कृपया डीआईसीजीसी की वेबसाईट देखें : www.dicgc.org.in

Submission of Deposit Insurance (DI) Returns

Premium payable by bank needs to be determined on the basis of its total deposits as on last day of the preceding half year (for half year ending Sep 2019, deposit base is March 31, 2019 and last date for payment is May 31st).{DICGC General Regulations 19(2)}.

DI Returns should reach DICGC as soon as possible after the commencement of each calendar half-year **but in any event not later than the last day of the second month of that half-year** duly certified by two officials authorised by bank.{DICGC General Regulations 19(3)}. Copy of DI Return is attached.

Banks wilfully making statement which is false in any material or omitting any substantial information shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine as per act.{DICGC Act Section 47(1)}.

Further, if a bank fails to submit deposit Insurance returns within due date, it shall be punishable with a fine of two thousand rupees in respect of each offence and in the

case of a continuing failure, with an additional fine which may extend to one hundred rupees for every day during which the failure continues after conviction for the first such failure. {DICGC Act Section 47(2)}. Portal-IASS link is provided on DICGC website to facilitate banks to submit DI returns online. Tutorial to understand the DI filing through Portal is also available on website for better understanding of banks.
Please refer DICGC website: www.dicgc.org.in.

आरटीजीएस के द्वारा प्रीमियम का प्रेषण

यह देखा गया है कि कुछ बैंक अभी भी प्रीमियम का प्रेषण चेक/ ड्राफ्ट द्वारा कर रहे हैं। कृपया यह नोट करें कि डीआईसीजीसी को जिस दिन लेखा-पत्र (instrument) प्राप्त होता है उस तारीख को ही प्रीमियम के भुगतान की तारीख माना जाता है। ऐसी स्थिति में लेखा-पत्र (instrument) देरी से प्राप्त होने पर भुगतान में विलंब माना जाता है और बैंक पर दण्डात्मक ब्याज लगाया जाता है।

दो लाख रुपए से कम प्रीमियम अदा करने वाले बैंक राशि का भुगतान एनईएफ़टी द्वारा करें तथा दो लाख से अधिक प्रीमियम अदा करने वाले बैंक राशि का भुगतान आरटीजीएस द्वारा करें। एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से किए जानेवाले भुगतान की जानकारी का ब्यौरा इसके अंतर्गत दिया गया है।

वे बैंक जिनके पहले से ही नामे शेष हैं और वे यदि चेक द्वारा भुगतान करते हैं तो चेक (instrument) की उगाही होने तक अतिरिक्त ब्याज लग जाता है।

अतः, उक्त सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए यह बैंकों के अपने हित में है कि वे डीआईसीजीसी को डीआई रिटर्न समय पर प्रस्तुत करें तथा सही निर्धारणीय राशि पर प्रीमियम का भुगतान आरटीजीएस/ एनईएफ़टी के माध्यम से करें।

Remittance of premium through RTGS/NEFT

It is observed that banks are still remitting premium through cheques/ drafts. It may be noted that premium received in DICGC is taken as the date of receipt of instrument. In case of delayed receipt of instrument it is considered as delayed payment and penal interest is charged on bank.

Banks making premium payment less than 2 lakh may remit through NEFT and more than 2 lakh needs to remit through RTGS respectively. Particulars of payment details through NEFT/RTGS are given hereunder.

Banks already having debit balances sending payment through cheques leads to further interest accumulation till the time instrument is realised.

Thus, considering all the above factors, it is in banks' own interest to pay premium through RTGS/NEFT on correct assessable deposits with timely submission of DI returns to DICGC.

भुगतान विवरण Payment Details

भुगतान की विधि Mode of Payment	चालू खाता सं. Current account No.	आईएफ़एससी कोड IFSC Code	हिताधिकारी का नाम Name of beneficiary
RTGS	**8710596**	**DICG 0000001**	**DICGC**
NEFT	**8705688**	**DICG 0000002**	**DICGC**

बैंक/ Bank : भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई Reserve Bank of India, Mumbai

दो लाख रुपयों से अधिक के लेन-देन के लिए आरटीजीएस प्रयोज्य है।
RTGS applicable for Transaction **above** ₹ Two Lakhs.

दो लाख रुपयों से कम के लेन-देन के लिए एनईएफ़टी प्रयोज्य है।
NEFT applicable for transactions **less than** ₹ Two Lakhs

कृपया डीआईसीजीसी की वेबसाईट देखें/ Please refer DICGC website: www.dicgc.org.in